विधान परिषद के प्रथम सत्र- 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 05 का उत्तरालेखः-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
05(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति एक चरण छोड़ कर की गयी है?	जी हाँ । प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक/समकक्ष पदों पर की गयी अन्तिम पदोन्नति सूची के अनुसार पुरुष शाखा में कुल 98 एवं महिला शाखा में कुल 86 एल0टी0 ग्रेड के सहायक अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।
(ख)	क्या ग्रेड पे 4600 पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति एक चरण छोड़ कर सीधे 5400 ग्रेड पे पर कर दी गयी है ?	जी हाँ।
(ग)	यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ पर कनिष्ठ पद पर कार्यरत एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति देने के बजाय सीधे राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की गयी है ?	प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक/समकक्ष पदों पर की गयी अन्तिम पदोन्नति सूची के अनुसार पुरुष शाखा में कुल 98 एवं महिला शाखा में कुल 86 एल0टी0 ग्रेड के सहायक अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।
(घ)	सहायक अध्यापक पदोन्नति पाकर जब प्रवक्ता बनते हैं तो उनका धारणाधिकार दोनों पदों पर बना रहता है ?	किसी स्थायी कर्मचारी को एक सेवा से किसी दूसरी सेवा अथवा विभाग में नियुक्त होने पर नियमानुसार धारणाधिकार (लियन) प्रदान किया जाता है। पदोन्नति में धारणाधिकार (लियन) की व्यवस्था नहीं है।
(ड़)	दो पदों के धारणाधिकार का नियम संविधान विरुद्ध है ऐसा क्यों ?	उपरोक्तानुसार
(च)	क्या संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?	प्रश्न ही नहीं उठता।
(छ)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

OP DO1